प्रेस नोट

फतेहपुर – थाना धाता, सर्विलांस व इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीम को मिली सफलता । दिनांक 21.02.2024 को थाना धाता क्षेत्रांतर्गत अढौली गांव में महिला की स्वयं के पुत्र द्वारा हत्या कर शव को छिपाने के मामले में पंजीकृत अभियोग में नामित/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.02.2024 को थाना धाता पर श्री रोशन सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी अढौली थाना धाता जनपद फतेहपुर द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि कल मंगलवार को राजापुर चित्रकूट मे हनुमान मंदिर गया था, जब अपरान्ह घर वापस आया तो पत्नी प्रभा देवी उम्र करीब 49 वर्ष घर पर नहीं मिली तो पुत्र हिमांशु से पूछने पर बताया कि मामा के यहां गई है, किंतु देर शाम तक पत्नी प्रभा देवी घर नही लौटी तो ससुराल मे जानकारी किया तो वहां नही गई थी, तथा पुत्र हिमांशु भी घर से कहीं निकल गया। आज गांव के लोगो से सूचना मिली कि एक महिला की लाश एरई गांव अंतर्गत यमुना नदी किनारे पड़ी है, जो पत्नी प्रभा देवी की है। हिमांशु ने पत्नी प्रभा देवी की हत्या कर शव को ले जाकर छिपा दिया है। इस सूचना पर थाना धाता पर मुकदमा अपराध संख्या 20/2024 धारा 302/201 भादवि विरुद्ध हिमांशु उपरोक्त के पंजीकृत कर अभियोग के विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में नामित अभियुक्त हिमांशु को मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के क्रम में मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः—

डेण्डासई तिराहा, 24.02.2024 समय 07.55 बजे

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पताः--

1. हिमाशू सिंह पुत्र रोशन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी अढौली थाना धाता जनपद फतेहपुर ।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. नामित अभियुक्त कुल 02 भाई क्रमशः अंकुर सिंह एवं हिमांशु सिंह है, जिसमें अंकुर सिंह को उसके बडे पिता लाल सिंह द्वारा गोद लिया गया है।
2. अभियुक्त हिमांशु सिंह अपने माता- पिता के साथ ग्राम अढौली में रहकर पिता के साथ कृषि कार्य में सहयोग करता है।
3. अभियुक्त हिमांशु सिंह करीब डेढ़ वर्ष से ऑनलाइन Zupee Game खेलता था, जिसमें करीब 4 लाख रुपये हार चुका था।
4. अभियुक्त हिमांशु द्वारा गेम में हारे गये रुपये अपने हित मित्रों से उधार लिये गये थे। जिसे उनके द्वारा वापस मांगा जा रहा था।
5. अभियुक्त हिमांशु के घर पर करीब 25 दिन पूर्व मरम्मत /निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें मृतका प्रभा देवी की जेठानी द्वारा प्रयागराज से मृतका को जरिये दूरभाष बताया गया कि घर में लेबर काम कर रहे है तथा आलमारी में जेवरात रखे है ध्यान रखना ।
6. अभियुक्त हिमांशु को आलमारी में उसकी बड़ी मां के रखे जेवरात की जानकारी हो गयी तथा वह धीरे धीरे आलमारी से जेवरात निकालकर कम कीमत पर बेच डाला, जिसकी जानकारी माता -पिता को होने पर उनके द्वारा हिमांशु पर जेवरात वापस लाने हेतु सख्ती बरती गयी ।
7. दिनांक 20.02.2024 दिन मंगलवार को पिता /वादी मुकदमा रोशन सिंह द्वारा चित्रकूट जाते समय हिमांशु को जेवरात वापस लाने हेतु हिदायत कर दो तीन थप्पड़ मारा गया था तथा रोशन सिंह के जाने उपरांत मृतका प्रभा देवी द्वारा भी हिमांशु को भला बुरा कहते हुए जेवरात हर दशा में वापस लाने हेतु कहा गया कि समय करीब 11.30 बजे प्रभा देवी को भुसे के कमरे में चारा काटने दौरान हिमांशु द्वारा गले में कपड़े की रस्सी डालकर गला घोट कर हत्या कर दी गयी ।
8. अभियुक्त हिमांशु द्वारा मां प्रभा देवी की हत्या उपरांत स्वयं के ट्रेक्टर ट्राली को भुसे वाले कमरे के दरवाजे पर लगा कर शव को भुसे की झाल में लपेटकर नहर के किनारे से होकर ग्राम एरई अंतर्गत यमुना नदी तट पर ले जाया गया किन्तु नदी में जलधारा का बहाव दूसरे छोर पर होने के कारण शव को तट के खोह में छिपा कर चला आया था।
9. अभियुक्त हिमांशु द्वारा माह दिसम्बर में अपने माता-पिता का बीमा भी कराया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री बृन्दावन राय (थानाध्यक्ष धाता), उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार यादव, का0 बृजेश कुमार , म0का0 विभा तिवारी

इंटेलीजेन्स विंग 1. निरीक्षक श्रीमती विद्या यादव, 2. उ0नि0 दिवाकर सिंह मय टीम

सर्विलांस टीमः- उ0नि0 श्री शैलेश कुमार सिंह मय टीम